न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर

सोहनलाल V/s TDR धोद मु नं 31/2020

25/2/2021 पत्रावली पेश हुई। उपस्थित वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम पूर्णपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 127 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा सं. 128 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 129 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 130 रकबा 0.5300 हेक्टेयर, खसरा सं. 205 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 1.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 92 रकबा 4.8400 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.6500 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र रामनाथ अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम सोहनलाल पुत्र रामनाथ है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, चुनाव परिचय–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र आदि दस्तावेजों में भी प्राथी का नाम सोहनलाल पुत्र रामनाथ अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र रामनाथ के स्थान पर सोहनलाल पुत्र रामनाथ दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस वकील प्रार्थी से सुनी गई। प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ''ग्राम पूर्णपुरा के खाता सं. 49 खसरा सं. 127 ता 130, 205, 213, 92 में मोहन पुत्र रामनाथ के स्थान पर सोहनलाल पुत्र रामनाथ शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है।'' अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पूर्णपुरा तहसील धोद के खसरा सं. 127 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा सं. 128 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, खसरा सं. 129 रकबा 2.1000 हेक्टेयर, खसरा सं. 130 रकबा 0.5300 हेक्टेयर, खसरा सं. 205 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा सं. 213 रकबा 1.5200 हेक्टेयर, ख़सरा सं. 92 रकबा 4.8400 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 9.6500 हेक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र रामनाथ के स्थान पर सोहनलाल पुत्र रामनाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ... सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kum
Date: 2021.02.26 16:17:22 IST
Reason: SelfAttested